न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 98 / प्रा.पत्र / 2024 (GCMS No. 2024 / 148)	18.09.2024	08.01.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

खेमचन्द, गोपाल पि0 हरिराम, मु. भूलीबाई पत्नी हरिराम,
निवासी ग्राम राजपुरा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी हरिराम आ. गोकुल को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 633 / 280 रकबा 1.6430 हैक्टेयर वाकेग्राम राजपुरा आवंटन आदेश दिनांक 23.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 98 / 2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024 / 150 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण की पेशी दिनांक 23.10.2024 की तामील हेतु जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये, किन्तु बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 27.11.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

जिला कलेक्टर, बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये गये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी के वारिसान अप्रार्थीगण का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है हरिराम आ. गोकुल कौम बोला निवासी ग्राम राजपुरा को दिनांक 23.11.1975 को भूमि ख.सं. 280 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा वाकेग्राम राजपुरा का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम राजपुरा की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि ख.सं. 633/280 रकबा 1.6430 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण खेमचन्द, गोपाल पि. हरिराम, मु.भूलीबाई पत्नी हरिराम गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थना पत्र के संलग्न हल्का पटवारी, भू.अभिलेख निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार, डाबी की रिपोर्ट अनुसार मौके पर आवंटी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है, जबकि इस प्रकरण में आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर 48 वर्षो तक गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड रहना तथा आवंटी के वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होना आदि तथ्यों से आवंटन की शर्तो का उल्लंघन होना प्रमाणित है। ऐसे में उक्त आवंटन खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं विधिक प्रावधानों की अनुपालना में उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी हरिराम आ. गोकुल बोला नि0राजपुरा को किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 280 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा (ख.सं.633/280 रकबा 1.6430 हैक्टेयर) वाकेग्राम राजपुरा दिनांक 26.11.1975 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उनके विरूद्ध अतिकमी की हैसियत से बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 08.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर; बून्दी